रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233570
CG-DL-E-17022022-233570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943
No. 730] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2022

का.आ. 757(अ).—केंद्रीय सरकार बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन करती है और 18 फरवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस दिन उक्त समिति निम्नलिखित संरचना के साथ लागू होगी, अर्थात्: -

5.1(क)	(1)	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार;	अध्यक्ष, पदेन
5.1(ख)	(2)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण;	सदस्य ,पदेन
	(3)	सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन
	(4)	सदस्य (हाइड्रो), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन
	(5)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;	सदस्य ,पदेन
	(6)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;	सदस्य ,पदेन
	(7)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे का न हो;	सदस्य ,पदेन
	(8)	महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन

	(9)	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन
	(10)	निदेशक, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन
	(11)	निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार;	सदस्य ,पदेन
5.1(ग)	(12	राज्य सरकार के सात)7) प्रतिनिधि मुख्य अभियंता या समकक्ष स्तर रोटेशन द्वारा;	पदेन सदस्य
5.1(घ)	(13)	बांध सुरक्षा क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों में तीन)3) विशेषज्ञ;	सदस्य,
	(14)	सदस्य (नीति और अनुसंधान), एनडीएसए, भारत सरकार।	सचिव

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा नीचे खंड (2.1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों के सात (7) प्रतिनिधि, मुख्य अभियंता या समकक्ष के स्तर के निम्नलिखित समूहों से रोटेशन द्वारा सदस्यों, पदेन के रूप में नामित किए जाएंगे -

क. समूह 1 – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु

ख. समूह 2 - हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा

ग. समूह 3 - अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम

घ. समूह 4 - मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा

ङ. समूह 5 – बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल

च. समूह 6- गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा

छ. समूह 7 – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

(2.1) सात समूहों में से प्रत्येक में से एक सदस्य, तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद, केंद्रीय सरकार द्वारा, सदस्य, पदेन के रूप में, रोटेशन द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय समिति राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, किसी निर्दिष्ट बांध के मालिक और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों (अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित) को आमंत्रित कर सकती है, जैसा कि वह अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (2) के अधीन अपने कार्यों के उन्मोचन के लिए उचित समझे।

(4) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की उपरोक्त संरचना इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए लागू होगी, और उसके बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

[फा. सं. एन-52011/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2022

S.O. 757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the Central Government hereby constitutes the National Committee on Dam Safety and appoints the 18th February, 2022 as the date on which the said committee shall come into force, with the following composition, namely:-

5.1(a)	(1)	Chairman, Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, Government of India;	Chairperson, *ex officio*
5.1(b)	(2)	Chairman, National Dam Safety Authority;	Member, *ex officio*

IndiaCode

	(3)	Member (Design & Research), Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, Government of India;	Member, *ex officio*
	(4)	Member (Hydro), Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India;	Member, *ex officio*
	(5)	Representative of D/o of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India not below the rank of Joint Secretary;	Member, *ex officio*
	(6)	Representative of National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs, Government of India not below the rank of Joint Secretary;	Member, *ex officio*
	(7)	Representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not below the rank of Joint Secretary, Government of India;	Member, *ex officio*
	(8)	Director General, India Meteorological Department, Ministry of Earth Science, Government of India;	Member, *ex officio*
	(9)	Director General, Geological Survey of India, Ministry of Mines, Government of India;	Member, *ex officio*
	(10)	Director, National Remote Sensing Centre, Department of Space, Indian Space Research Organisation, Government of India;	Member, *ex officio*
	(11)	Director, National Geophysical Research Institute, Ministry of Science and Technology, Government of India;	Member, *ex officio*
5.1(c)	(12)	Seven (7) representatives of the State Government of the level of Engineer-in-chief or equivalent by rotation;	Member, *ex officio*
5.1(d)	(13)	Three (3) specialists in the field of dam safety and allied fields;	Member
	(14)	Member (Policy and Research), NDSA, Government of India.	Secretary

(2) Seven (7) representatives of the State Governments, of the level of Engineer-in-Chief or equivalent from the following groups by rotation, to be nominated by the Central Government as Members, *ex officio* as per the procedure mentioned at clause (2.1) below:-

a. Group I – Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu

b. Group II – Himachal Pradesh , Punjab, Uttarakhand, Haryana

c. Group III – Arunachal Pradesh , Assam, Meghalaya, Sikkim

d. Group IV – Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura

e. Group V – Bihar, Odisha, Jharkhand, West Bengal

f. Group VI - Gujarat, Maharashtra, Telangana, Goa

g. Group VII - Rajasthan Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh

(2.1) One member from each of the seven groups shall be nominated, on rotation, by the Central Government as members, *ex officio,* after completion of tenure of three years.

(3) The National Committee may invite the representative of the States, Union Territories, owner of any specified dam and such other experts in dam safety (including international experts) as it may consider appropriate for the discharge of its functions under sub-section (2) of section (7) of the Act.

(4) The above composition of National Committee on Dam Safety shall be in force for three years from the date of this Notification, and thereafter the committee shall be re-constituted.

[F. No. N-52011/1/2021-BM Section-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.